



अंत्योदय—सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता—हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. पंजीकृत कर्मकार की नियमित सदस्यता कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए।
2. लाभ केवल तीन मादा और दो नर बच्चों तक भुगतानयोग्य है।
3. व्यावसायिक कोर्सों को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता, दाखिला फीस की प्रतिपूर्ति को छोड़कर, राजकीय संस्था को प्रत्यक्ष रूप में भुगतान की जाएगी।
4. निजी संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के दावे आवेदन किसी एक अधिकारी अर्थात् उप-श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. प्रथम वर्ष के लिए कम से कम ₹0 8,000/- और अधिकतम ₹0 20,000/- तक (स्नातकोत्तर)
2. मैट्रिककुलेशन परीक्षा में प्राप्त प्रतिशतता के आधार पर सावधि जमा के रूप में ₹0 21,000 से ₹0 51,000/- ।
3. व्यावसायिक/तकनीकी कोर्सों के सभी शैक्षणिक खर्च
4. अधिकतम ₹0 1,20,000/- तक छात्रावास खर्च



अंत्योदय—सरल



आवश्यक दस्तावेज :

1. कृपया शिक्षा सहायता के लिए विहित आवेदन पर रोक और सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को अपलोड करें।

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25/- और रू0 5/- प्रति मास (रू0 60/- प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10/-	रू0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा : 90 दिन